रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260636
CG-DL-E-30012025-260636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/माघ 10, 1946
No. 525] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/MAGHA 10, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

का.आ. 529(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा एयर कूलर और एयर फ़िल्टर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों के सिवाय, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को एयर कूलर और एयर फ़िल्टर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II के स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात, केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के "उद्यम पोर्टल" पर पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर विनिर्मित उन वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, जिनमें मूल लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और पिछले वित्त वर्ष का टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात एयर कूलर और एयर फिल्टर के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, तथा साथ ही यह शर्त होगी कि ऐसी आयातित वस्तुओं और सामानों को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसे माल या वस्तुओं का वर्षवार रिकॉर्ड रखेंगे और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी, संगत सामानों या वस्तुओं के लिए ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या विनिर्माता जिसने प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है, द्वारा इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से पहले घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा तथा ऐसे विनिर्माता को ऐसे घोषित स्टॉक को 31 अक्टूबर, 2025 तक बेचने या प्रदर्शित करने या बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति होगी, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि ऐसे विनिर्माता ने ब्यूरो को इस आशय की घोषणा की हो।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	एयर कूलर और एयर फ़िल्टर	3315:2019	इवैपोरेटिव एयर कूलर(डेजर्ट कूलर)	1 अप्रैल, 2025	1 जुलाई, 2025	1 अक्तूबर, 2025
2		17570 (भाग 1): 2021 आईएसओ 16890-2: 2016	सामान्य वेंटिलेशन के लिए एयर फिल्टर – पार्टिकुलेट मैटर दक्षता(ईपीएम) के आधार पर तकनीकी विनिर्देश आवश्यकताएं और वर्गीकरण			

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी- 29026/25/2023– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 30th January, 2025

S.O. 529(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Air Cooler and Air Filters (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) This Order may be called the Air Cooler and Air Filters (Quality Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that the small enterprise and micro enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam Portal" of the Central Government in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant:

Provided also that nothing in this Order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of Air Cooler and Air Filters per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish to the Central Government:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of this Order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles and such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to the 31st October, 2025 subject to the condition that such manufacturer shall made a declaration to this effect to the Bureau.

3. **Certification and enforcement authority.-** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for Contravention.- Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S. No.	**Goods or Articles**	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**	**Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)**	**Date of Implementation for Small Enterprises**	**Date of Implementation for Micro Enterprises**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Air Cooler and Air Filters	3315:2019	Evaporative Air Coolers (Desert Coolers)	1st April, 2025	1st July, 2025	1st October, 2025
2		17570 (Part 1): 2021 ISO 16890-2: 2016	Air Filters for general ventilation - Technical specifications requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)			

Note.-For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/25/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2025.01.30 22:06:52 +05'30'